प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 741 सन 2021

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कालुराम पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. हनुमान प्रसाद पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 73/73 की कुल 21.2710हैक्ट एवं रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 134/133 की कुल 6.3250हैक्ट वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुखराम पुत्र जीसुखराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुखराम पुत्र जीसुखराम के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है मुखराम पुत्र जीसुखराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत अपनी स्वैच्छा से अपने पौत्रो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में करवाई गई थी वादी के दादा मुखराम पुत्र जीसुखराम का देहान्त दिनांक 19.02.2021 को हो चुका है वादी अपने दादा मुखराम पुत्र जीसुखराम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है तथा वादी के दादा की वसीयत के अनुसार भूमि काश्त करता आ रहा है वादी अपने दादा मुखराम पुत्र जीसुखराम की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मुखराम पुत्र जीसुखराम वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके दादा मुखराम पुत्र जीसुखराम के नाम से दर्ज है जिन्हाने अपने जीवनकाल में अपने स्वअर्जित भूमि की वसीयत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में करवाई गइ थी मुखराम पुत्र जीसुखराम जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का दादा है का देहानत हो चुका है इसलिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 अपने दादा मुखराम पुत्र जीसुखराम के द्वारा करवाई गई वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बाच्छुसर के खाता संख्या 73/73 की कुल 21.2710हैक एवं रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 134/133 की कुल 6.3250हैक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुखराम पुत्र जीसुखराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्उ में उसके दादा मुखराम पुत्र जीसुखराम के नाम से दर्ज है जिन्होने अपने जीवनकाल में अपनी वाद भूमि की वसीयत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में करवाई गई थी वादी के दादा मुखराम पुत्र जीसुखराम को देहान्त हो चुका है वादी मुखराम पुत्र जीसुखराम की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्उ में दर्ज करवाना चाहता है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के दादा मुखराम पुत्र जीसुखराम की वसीयत के सम्बध में प्रशासन गांव के संग अभियान में उपस्थित मौजिज व्यक्तियो के द्वारा स्वीकार किया की वादी के दादा मुखराम पुत्र जीसुखराम के द्वारा वसीयत करवाई गई तथा मुखराम पुत्र जीसुखराम के पुत्र खेताराम एवं वादी के पिता के द्वारा भी वादी के दादा के द्वारा करवाई गई वसीयत को स्वीकार किया गया है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बाच्छुसर के खसरा न0 90 की 10.8760हैक एवं खसरा न0 155/2 की 1.1380हैक एवं खसरा संख्या 164 की 2.9210हैक भूमि जो मुखराम पुत्र जीसुखराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 अकेला , रोही मौजा बाच्छुसर के खसरा न0 206 की 6.2730हैक एवं खसरा न0 149/2 की 0.0630हैक भूमि जो मुखराम पुत्र जीसुखराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला तथा रोही मौजा राणीसर के खसरा न0 317/1 की 6.3250हैक भूमि जो मुखराम पुत्र जीसुखराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 अकेला खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... जबरासर.

सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कालुराम पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
2. हनुमान प्रसाद पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 741 सन 2021 निर्णय दिनांक– 29.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बाच्छुसर के खसरा न0 90 की 10.8760हैक एवं खसरा न0 155/2 की 1.1380हैक एवं खसरा संख्या 164 की 2.9210हैक भूमि जो मुखराम पुत्र जीसुखराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 अकेला , रोही मौजा बाच्छुसर के खसरा न0 206 की 6.2730हैक एवं खसरा न0 149/2 की 0.0630हैक भूमि जो मुखराम पुत्र जीसुखराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला तथा रोही मौजा राणीसर के खसरा न0 317/1 की 6.3250हैक भूमि जो मुखराम पुत्र जीसुखराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 अकेला खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....जबरासर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर